



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2016/पौष 22, 1937

No. 18]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2016/ PAUSA 22, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2016

सा.का.नि.18(अ).—केन्द्रीय सरकार, वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वास्तुकला परिषद से परामर्श करके, यह निदेश देती है कि योजना तथा वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का 37) की धारा 4 के अधीन निगमित योजना तथा वास्तुकला विद्यालय द्वारा प्रदत्त वास्तुकला में बैचलर डिग्री (बी आर्क) वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20) के प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त अर्हता होगी और उक्त प्रयोजन के लिए वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

वास्तुविद अधिनियम, 1972 की अनुसूची में क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“13. योजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का 37) की धारा 4 के अधीन निगमित योजना तथा वास्तुकला विद्यालय द्वारा प्रदत्त स्थापत्यकला में बैचलर डिग्री (बी आर्क)”

[फा.सं. 4-3/2015-टी. एस. 6]

एस. पी. गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : वास्तुविद अधिनियम, 1972 की अनुसूची निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई

1. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 780, तारीख 4 जुलाई, 1973
2. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में पृष्ठ सं 2216-17 पर प्रकाशित सा.का.नि.790, तारीख 18 सितम्बर, 1982

3. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में पृष्ठ सं 2423 पर प्रकाशित सा.का.नि. 866, तारीख 16 अक्तूबर, 1982
4. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित मंत्रालय सं. 16-12-87-टी-12 टी डी-3, तारीख 29 नवम्बर, 1990
5. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित मंत्रालय सं. 16-12-87-टी-3 टी डी-3, तारीख 7 अक्तूबर, 1993
6. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि.482, तारीख 12 सितम्बर, 1994
7. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 361, तारीख 29 जुलाई, 1995
8. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित मंत्रालय फा.सं. 26-1-95-टी एस-3 तारीख 25 जनवरी, 1996
9. भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि.108 तारीख 28 फरवरी, 2005

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2016

G.S.R. 18(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Central Government, after consultation with the Council of Architecture, hereby directs that the Degree of Bachelor of Architecture (B. Arch.) awarded by a School of Planning and Architecture incorporated under section 4 of the School of Planning and Architecture Act, 2014 (37 of 2014) shall be a recognised qualification for the purposes of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), and for the said purpose makes the following amendment in the Schedule to the Architects Act, 1972 (20 of 1972), namely :—

In the Schedule to the Architects Act, 1972, —

for serial number 13 and the entry relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

"13. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) awarded by a School of Planning and Architecture incorporated under section 4 of the School of Planning and Architecture Act, 2014 (37 of 2014)."

[F.No.4-3/2015-TS.VI]
S.P. GOYAL, Jt. Secy.

Note: The Schedule to the Architects Act, 1972, was amended vide notification numbers,—

1. G.S.R 780, dated the 4th July, 1973 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i),
2. G.S.R 790, dated the 18th September, 1982 at page No. 2216-17 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i),
3. G.S.R. 866, dated the 16th October, 1982 at page No. 2423 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i),
4. Ministry's No.16-12/87-T-12/TD-3 dated the 29th November, 1990 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i),
5. Ministry's No. 16-12/87-T.3/TD.III dated the 7th October, 1993 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i),
6. G. S.R. 482, dated the 12th September, 1994 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i),
7. G.S.R. 361, dated the 29th July, 1995 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i),
8. Ministry's F.No.26-1/95-TS.III dated the 25th January, 1996 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i),
9. G.S.R 108, dated the 28th February, 2005 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i).